



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक/333/ संबद्धता/2025
प्रति

भोपाल, दिनांक 13/08/2025

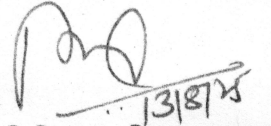
आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त संस्थाओं से सम्बद्धता शुल्क जमा करने की तिथि के संबंध में।

---/---/---

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक-एफ 37-2/2015/20-3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत अशासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को विभागीय मान्यता/अनुमति एवं उनके नवीन मान्यता /नवीनीकरण मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

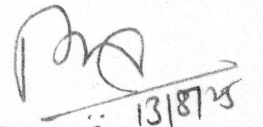
मण्डल के पत्र क्रमांक 81/मान्यता समन्वय/2014 दिनांक 18.06.2014 की कंडिका 2.1 के अनुसार विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त शासकीय /अशासकीय संस्थाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ऑनलाइन सम्बद्धता शुल्क जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक /325/सम्बद्धता /2025 भोपाल दिनांक 01.07.2025 के द्वारा दिनांक 10.08.2025 तक का समय प्रदाय किया गया था, उक्त तिथि में 31.08.2025 तक की वृद्धि की जाती है।


13/8/25

अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल दिनांक 13/08/2025

पृष्ठा.क्रमांक/334/ संबद्धता /2025
प्रतिलिपि

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आंचलिक/संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।


13/8/25

अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल